## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
## पीठासीन अधिकारी : श्री अनिल कुमार आर0ए0एस0

| नम्बर मुकदमा | किस्म मुकदमा | दायरा तिथि | निर्णय तिथि |
|---|---|---|---|
| 77/2022 | धारा 212 RTA | 06.10.2022 | 03.10.2023 (03-10-23) |

1. श्री जोराराम पुत्र स्वर्गीय मालाराम जाति सुथार निवासी ग्राम धोधलिया तहसील व जिला चूरू राज.

–प्रार्थी–

बनाम

1. श्रीमती सुन पुत्री स्वर्गीय मालाराम पत्नी श्री महावीर जाति सुथार निवासी ग्राम धोधलिया तहसील व जिला चूरू हाल निवासिनी ग्राम जासासर तहसील व जिला चूरू राज.
2. उप पंजीयन अधिकारी, उप पंजीयक कार्यालय, चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

–अप्रार्थीगण–

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट**

उपस्थिति :– 1. श्री राकेश कुमार सहारण अधिवक्ता प्रार्थी
2 श्री शिवगौतम सोलंकी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 01

### आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावा के प्रतिवादी 2 व 3 एक ही परिवार के सदस्य है जिनकी संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां खेत खसरा नं. 809/365 रकबा 1.7706 हैक्टेयर, ख. नं. 748/176 तादादी 2.0234 हैक्टेयर, ख. नं. 366/177 व 380/309 रकबा क्रमशः 4.8941 हेक्टेयर व 5.5265 हैक्टेयर रोही ग्राम धोधलिया तहसील व जिला चूरू व कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 100 तादादी 0.2403 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 105 तादादी 6.4497 हैक्टेयर रोही ग्राम ढाढरिया बणीरोतान तह. व जिला चूरू कुल खसरे 6 कुल तादादी 20.9046 हैक्टेयर है जिनको प्रार्थी व दावा के प्रतिवादी संख्या 2 व 3 संयुक्त रूप से काश्त करते वले आ रहे हैं, ताईद में जमाबन्दी व नक्शों की प्रमाणित प्रतियां शामिल दावा पेश की जा रही है।

प्रार्थी व अप्रार्थीया तथा दावा के प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 809/365 रकबा 1.7706 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम धोधलिया तहसील व जिला चूरू में स्थित है जिसमें प्रार्थी 3/10 हिस्सा व दावा के प्रतिवादी संख्या 2 व 3 हिस्सा 3/10 के खातेदार काश्तकार है व अप्रार्थीया जो कि 1/10 हिस्सा की खातेदार मगर राजस्व कर्मचारियों के सहवन भूल से उक्त कृषि भूमि में अप्रार्थीया की खातेदारी में 1/10 हिस्सा के स्थान पर 1/4 हिस्सा में खातेदारी गलत दर्ज कर दिया है जो राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी व दावा के प्रतिवादी [illegible] का प्रत्येक का 3/10 हिस्सा प्रार्थीनी संख्या 1 का 1/10 हिस्सा खातेदारी [illegible] जाना आवश्यक है जिसके लिए राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जा[illegible] रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी दावा के प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का प्रत्ये[illegible]3/10 हिस्सा अप्रार्थीनी संख्या 1 का 1/10 हिस्सा घोषित किया जाना आवश्यक है। चुं[illegible] प्रार्थी व दावा के प्रतिव[illegible]या 2 व 3 अन्य कृषि भूमियों में प्रार्थी व दावा के प्रतिवादी संख्या 2व 3 का प्रत्येक का 3/10 हिस्सा खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:30:29 IST
Reason: SelfAttested

में दर्ज है तथा अप्रार्थीनी 1/10 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है मगर खसरा संख्या 809/365 रकबा 1.7706 हैक्टेयर रोही धोधलिया में प्रार्थी व दावा के प्रतिवादी संख्या 2 व 3 व अप्रार्थीया का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॅार्ड में में सहवन से भूल से गलत दर्ज कर दिया गया है जिसे दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी व दावा के प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का प्रत्येक का 3/10 हिस्सा व अप्रार्थीनी संख्या 1 का 1/10 हिस्सा खातेदारी में दर्ज किये जाने की घोषणा किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॅार्ड दुरूस्त किये जाने हेतु अनुवानी वाद पत्र विभाजन व चिरस्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के साथा माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

प्रार्थी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 व अप्रार्थीया संख्या 1 सगे भाई बहन है जो मालाराम की संतान है तथा अप्रार्थीया संख्या 1 शादी के बाद से ग्राम जासासर में अपने पति व बच्चों के साथ रह रही है। प्रार्थी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की बहनों ने स्वेच्छा से प्रार्थी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक में हक त्याग हेतु कहा था परन्तु अप्रार्थीया संख्या 1 को छोड़कर सभी बहनों ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक में अपना उपहार पत्र जरिये रजिस्टर्ड उपहारनामा के करवा दिया मगर ज्यों ही मालाराम की मृत्यु के बाद वादगत कृषि भूमियों में अप्रार्थी संख्या 1 का नाम दर्ज हो गया अप्रार्थी संख्या 1 उपहार नामा में पंजीकृत करवाने में आना कानी करने लगी। अप्रार्थी संख्या 01 का पति शक्ति के बल पर वादगत संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमियों के विशिष्ठ हिस्से को किसी अजनबी व बदमाश व्यक्तियों को बेचने की फिराक में है एवं इस बाबत प्रार्थी ने अर्प्रीनी संख्या 01 से व दावा के प्रतिवादी संख्या 02 व 03 से बार–बार निवेदन किया कि अब परिवार बड़ा हो गया है एवं संयुक्त कब्जा काश्त में आये दिन विवाद व झगड़ा फसाद होने का अन्देशा बन गया है इसलिए खेत खसरा नम्बर 809/365 के रिकॅार्ड को दुरूस्त करवाकर अपने–अपने हक हिस्सों की भूमियों का अलग विभाजन करवाया जाकर उसका अलग खाता व लगान कायम खाथ चलकर करवा लें, मगर इस बाबत अप्रार्थीनी संख्या 01 स्पष्ट रूप से इन्कार हो गई व धमकी दे रही है कि वो अपने हक हिस्से के बदले संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमियों के विशिष्ठ हिस्से को राजस्व रिकॅार्ड में भूलवश आये गलत हक हिस्सा भूमाफियों को विशिष्ठ हिस्से को विक्रय करने के लिए एवं अन्य तरीके से खुर्द बुर्द करने के लिए ग्राहक तैयार कर रखे हैं इसलिए प्रार्थी के लिए अपने हितों की रक्षार्थ अप्रार्थीनी संख्या 01 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवा लेना आवश्यक हो गया है।

अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धान्त प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्तीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के हक में साबित सुदा है।

प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीया संख्या 01 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वर्जित फरमाया जावे कि वह दौराने दावा कृषि भूमि खेत ख. नं. 809/365 रकबा 1.7706 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 748/176 तादादी 2.0234 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 366/176 व 380/309 रकबा क्रमशः 4.8941 हैक्टेयर व 5.2565 हैक्टेयर रोही ग्राम धोधलिया तहसील व जिला चूरू व कृषि भूमि खेत ख.नं. 100 तादादी 0.2403 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 105 तादादी 6.4497 हैक्टेयर रोही ग्राम ढाढरिया बणिरोतान तह. व जिला चूरू कुल खसरे 06 कुल तादादी 20.90[illegible] हैक्टेयर है [illegible] रहन व बैय किसी अन्य व्यक्ति के नाम न करें तथा कोई भी ऐसा कार्य वादगत [illegible] ों के सम्बन्ध में नहीं करें जिससे प्रार्थी के हक हकूक पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो तथा [illegible] की यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना [illegible] अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का पेश करने पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का [illegible] से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:30:29 IST
Reason: SelfAttested

को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता शिवगोतम उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 पर विधिवत तामील होने के बावजूद इनकी ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से निवेदन किये जाने पर कि वे जवाब न देकर सिधी बहस करना चाहते है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 का जवाब बंद किया जाकर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई

वकील उभयपक्ष की बहस बहस उभय पक्ष सुनी गई । वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमियां संयुक्त खातेदारी की पैतृक कृषि भूमियां है जिनका विधिवत विभाजन नहीं हुआ है तथा वे खसरा नम्बर 809/365 रकबा 1.7706 में अप्रार्थी का हिस्सा भूलवश अधिक (गलत) अंकित हो गया है । अप्रार्थीनी उक्त कृषि भूमियों को बिना विभाजन एवं गलत खातेदारी की आड़ में विक्रय/खुर्द बुर्द करने पर आमादा है अतः ता फैसला दावा अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे रहन बय या विक्रय नहीं करें।पत्रावली एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन एवं बहस के तथ्यों पर मनन से यह स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीनी की संयुक्त खातेदारी की है। प्रार्थी व अप्रार्थी उभय पक्ष की सहमति के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते है जिससे अन्य सह खातेदारों के हक अधिकार पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य प्रतीत होता है।

## आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है कि वे वादगत ख. नं. 809/365 रकबा 1.7706 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 748/176 तादादी 2.0234 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 366/174 व 380/309 रकबा क्रमशः 4.8941 हैक्टेयर व 5.2565 हैक्टेयर रोही ग्राम धोधलिया तहसील व जिला चूरू व कृषि भूमि खेत ख.नं. 100 तादादी 0.2403 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 105 तादादी 6.4497 हैक्टेयर रोही ग्राम ढाढरिया बणिरोतान तह. व जिला चूरू की भूमि की रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 03.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:30:29 IST
Reason: SelfAttested